अनुदान संख्या 95 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 95 – MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*3627,80,00*	*2722,10,64*	*-905,69,36*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*905,69,48*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	410,20,00				
				410,21,00	282,41,48	-127,79,52
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					127,07,94
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–			70,00,00	68,10,00	-1,90,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,90,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, अभ्यर्पित राशि (*₹90569.48 लाख*), *₹90569.36 लाख* की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered *(₹90569.48 lakhs*) exceeded the overall savings of *₹90569.36 lakhs*.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*362780.00*			
			272210.52	*272210.64*	*+0.12*
पु.	*R.*	*-90569.48*			

(I) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान" के अंतर्गत *₹84445.87 लाख* बचत (*₹251700.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(II) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत *₹7283.50* लाख की बचत (*₹26070.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/उपयुक्त प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं - *₹1160.01 लाख* का अधिक व्यय (*₹85010.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों/राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under "Grants for State Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes-Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" – saving of *₹ 84445.87 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹251700.00 lakhs*) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under "Grants for Central Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Education" - saving of *₹7283.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹26070.00 lakhs)* was due to non-receipt of complete/adequate proposals and utilisation certificates from some State Governments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes-Education" – excess of *₹1160.01 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹85010.00 lakhs*) was due to receipt of more proposals from the implementing agencies/State Governments.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	24011.00			
पू.	S.	1.00	14731.15	14642.88	-88.27
पु.	R.	-9280.85			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	15730.00			
			..	..	..
पु.	R.	-15730.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों से सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	12353.54	12353.54	12353.55	+0.01

(I) ₹15730.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹15730.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Education" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग"- ₹186.45 लाख की बचत (₹671.00 लाख के

(A) "Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes" – saving of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -

(क) “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” - ₹5738.37 लाख की बचत (₹11950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम दावे प्राप्त होने, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयुक्त/पूर्ण प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय” - ₹5967.30 लाख की बचत (₹9190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव “प्रकृति” को स्थगित किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2523.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - आर्थिक विकास” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

₹186.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹671.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) “Tribal Area Sub Plan” –

(a) “Welfare of Scheduled Tribes - Education” – saving of ₹5738.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11950.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from University Grants Commission, non-receipt of adequate/complete proposals and utilisation certificates from Union Territory Administrations/ implementing agencies and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Welfare of Scheduled Tribes - Other Expenditure” – saving of ₹5967.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9190.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and utilisation certificates from implementing agencies, postponement of national tribal festival “PRAKRITI” and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4.(I) The above savings were partly (₹2523.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “2225” – “Welfare of Scheduled Tribes – Tribal Area Sub-Plan – Welfare of Scheduled Tribes - Economic Development”.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” – under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes – Education” – excess of ₹500.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” - ₹11853.55 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes – Education” - excess of ₹11853.55 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक निधियों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

5. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4225” अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4225” Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	7000.00	6810.00	6810.00	..
पु.	R.	-190.00			

(I) “सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश” के अंतर्गत ₹190.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “General – Tribal Area Sub-Plan – Welfare of Scheduled Tribes – Investment in Public Sector and Other Undertakings” – saving of ₹190.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.